वित्त समिति की गंगटोक में दिनांक 28 मई 2009 को आयोजित द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त

1. सिक्किम विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दूसरी बैठक गंगटोक स्थित होटल रिट्रीट में 28 मई 2009 को 10.00 बजे आयोजित की गई थी ।
2. इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे ।

नाम एवं पदनाम		
1.	प्रो. महेन्द्र पी.लामा, उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	
2.	श्री एस.एस महलावत अवर सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115	
3.	श्री एम.पी. बेजबरूआ, अवैतनिक निदेशक, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, सी- 24 कुतुब संस्थानिक क्षेत्र कुतुब होटल के पीछे नई दिल्ली - 110016	
4.	श्री अर्जुन स्यांग्देन पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक, अक्षय तारा अपार्टमेंट्स खंड संख्या 6, फ्लैट संख्या 9 2 ½ माइल, सेवक रोड सिलीगुड़ी - 734401	
5.	श्री टी पी कोइराला, वित्त सचिव (स्थानापन्न) सिक्किम सरकार, गंगटोक	
6.	श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	

विश्वविद्यालय से अन्य अधिकारीगण		
7.	श्री एस.के सरकार रजिस्ट्रार सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक - 737102	
8.	श्री एस. गोपीनाथ विशेष कार्य अधिकारी, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक - 737102	

4. आरंभ में, अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि लगभग दो वर्ष की अवधि के बाद अब पूर्णरूपेण वित्त समिति गठित कर ली गई है । उन्होंने बैठक में घोषणा की कि भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के आगन्तुक की क्षमता से वित्त समिति के निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति करते हुए हर्ष व्यक्त किया गया है :

1.	श्री अमित खरे संयुक्त सचिव (आई सी सी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग नई दिल्ली
2.	श्री डॉ0 (श्रीमती) रेणु बत्रा संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली
3.	श्री एस मोहन, निदेशक (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग नई दिल्ली

5. अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि श्री एस.एस.महलावत इस बैठमें में श्री अमित खरे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । उन्होंने यह भी सूचना दी कि आगन्तुक द्वारा नामित अन्य दो सदस्य कार्यालीय व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके । तत्पश्चात उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2007 में अपने निर्माण से अब तक की गई प्रगति को दर्शाते हुए पावर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण किया । अध्यक्ष महोदनय ने समिति के सदस्यों के ध्यान में यह भी लाया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय सभी मामलों में पारदर्शी पद्धतियों का अनुसरण करता है, ताकि यह भ्रष्टाचार मूक्त संस्थान बन सके । समिति

ने विश्वविद्यालय की द्रुत प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा सलाह दिया कि इसे आगे के वर्षों में भी जारी रखा जाए ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके

6. वर्ष 2008-09 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति ने जानना चाहा कि आंतरिक लेखा परीक्षा फर्म का चयन किस प्रकार किया गया था। सचिव ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2008-09 में आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित करने वाला फर्म गंगटोक के प्रतिष्ठा प्राप्त फर्मों में से एक है । सम्मानीय सदस्य श्री टी पी कोइराला ने समिति को सूचित किया कि इस फर्म को सिक्किम सरकार द्वारा भी कर संबंधी मामलों के लिए संलग्न किया गया है तथा इनके कार्य निष्पादन पर संतोष प्रकट किया गया । समिति ने रिपोर्ट में उठाई गई विभिन्न बिंदुओं पर विधिवत विचार करते हुए अध्यक्ष महोदय से उपचारी कार्रवाई शीघ्र करने का अनुरोध किया । सम्मानित सदस्य श्री एम पी बेजबरुआ ने बल दिया कि विश्वविद्यालय अभी नया है , अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा आरंभिक अवस्था से ही उचित प्रणालियों एवं पद्धतियों को लागू करना आसान होगा । सम्मानित सदस्य श्री एस एस महलावत ने सलाह दिया की आंतरिक लेखा परीक्षा में उल्लेखित क्षेत्रों में उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रिया लागू की जाए। समिति द्वारा मई 2009 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थिति के बारे में जो जानकारी मांगी गई तथा अध्यक्ष ने बतलाया कि यह काफी उत्साहजनक थी । समिति द्वारा सामान्यता निम्नलिखित बिंदुओं पर सुझाव दिया गया

- अध्यक्ष यांग्यांग स्थित प्रस्तावित विश्वविद्यालय संकुल हेतु एक सुंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन सुनिश्चित करें
- विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में इंफोसिस सदृश्य संस्थानों को संबद्ध करने का प्रयास करें, साथ ही छात्रगण भी इसका लाभ उठा सकें ।
- विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि उन मानकों में कोई ढीलाई न हो, जिनका यह पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में अनुसरण करता है।
- विश्वविद्यालय निर्बल क्षेत्रों की आवधिक रुप से खोज करने के लिए महाविद्यालयों के साथ अधिकाधिक बातचीत करें तथा शैक्षणिक गुणता की सतत अभिवृद्धि हेतु उपयुक्त उपचारी उपायों की पहल करें ।

7. अध्यक्ष द्वारा मूल्यवान सुझावों के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया गया तथा समिति को आश्वस्त किया गया कि इन्हें ध्यान में रखा जाएगा एवं कार्यान्वित किया जाएगा ।
8. समिति ने विश्वविद्यालय के सचिव द्वारा प्रस्तुत आंतरिक नियंत्रण संहिता (अनुलग्नक 1) का परीक्षण किया । समिति ने सुझाव दिया कि संहिता में निरूपित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का बुद्धिमतापूर्ण अनुसरण किया जाए । समिति में संक्षिप्त एवं व्यवहार्य तरीके से संहिता तैयार करने के लिए सचिव के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त किया ।
9. तत्पश्चात कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श आरंभ किया गया ।

समूह - I स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

एफ सी: 02:01	वित्त समिति की दिनांक 08.02.2009 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

01.1 समिति द्वारा कार्यवृत्तकी अंर्तवस्तुके परीक्षण के बाद इसकी पुष्टि कर ली गई (अनुलग्नक- 2)

एफ सी: 02:02	वित्त समिति की दिनांक 08.02.2009 को आयोजित गत बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट

02.1 समिति द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट का परीक्षण कियागया तथा इसकी पुष्टि की गई (अनुलग्नक- 3)

एफ सी: 02:03	विश्वविद्यालय की वर्ष 2008-09 हेतु वार्षिक लेखाओं पर विचार एवं अंगीकृत करना

03.1 सचिव द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वित्त स्कन्ध एवं अधिकांश विश्वविद्यालय अपर्याप्त मानव संसाधन संख्या बल के बावजूद भी यह वर्ष 2008-09 हेतु अपनी लेखाओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दो माह पूर्व अंतिम रूप देने में सफल रहा है यह वित्त स्कंध में दल सदस्यों द्वारा प्रदर्शित सरोकार एवं उत्सर्ग के कारण ही संभव हुआ । समिति ने वित्त स्कंध द्वारा किए गए प्रयासों को नाट कियातथा अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया । तत्पश्चात समिति ने वार्षिक रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण किया (अनुलग्नक- 4)

एफ सी: 02:04	शैक्षाणिक पदों के सृजन हेतु प्रस्तव पर कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को नोट करना एवं विचार करना ।

04.1 समिति ने इनके समक्ष प्रस्तुत मद को नोट किया । समिति ने यह सुझाव भी दिया कि विश्वविद्यालय भारत सरकार/यू जी सी द्वारा सभी पदों को यथा शीघ्र स्वीकृत करवाए जाने के लिए कदम उठाए ।

एफ सी: 02:05	गैर-शैक्षाणिक पदों के सृजन हेतु प्रस्तव पर विचार करना (प्रथम बैठक से पुन: प्रस्तुत मद)

05.1 समिति ने इनके समक्ष प्रस्तुत मद का कार्योत्तर अनुमोदन किया । समिति ने यह सुझाव भी दिया कि इस मद की विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शेष गैर-शिक्षण पदों की स्वीकृति हेतु यू जी सी के साथ कड़ाई से उठाए ।

एफ सी: 02:06	विश्वविद्यालय के सिटी कैंपस हेतु गंगटोक में भूमि क्रय की पुनरीक्षा एव विचार करना ।

06.1 समिति ने इस मद पर विस्तृत विमर्श किया । सम्मानित सदस्य एस एस अहलावत ने दोहराया कि भारत सरकार की यह नीति है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी मामलों में भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध करावाई जाएगी। सम्मानित सदस्यों ने अनुरोध किया कि इस पर उनके दृष्टिकोण को कार्यवृत्त में विशेष रूप से उल्लेखित किया जाए । अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि देश के अन्य सभी मार्गों की तुलना में पहाड़ी राज्य होने के कारण गंगटोक में भूमि की कमी है । आगे, राज्य सरकार के स्वामित्व में गंगटोक में विश्वविद्यालय की आवंटन हेतु कोई भूमि नहीं है। इस कथन की पुष्टि सम्मानित सदस्य श्री टी पी कोइराला ने की । अध्यक्ष ने दोहराया कि ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के समक्ष एक मात्र विकल्प खुले बाजार में भूमि क्रय है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार एवं पूर्वोत्तर में राज्य सरकारों द्वारा उदार औद्योगिक नीति अपनाने के कारण निजी अभिकरणों द्वारा भूमि क्रय पर बहुत दबाव रहा है। ऐसी परिस्थिति में, भूमि धीरे-धीरे अधिकतम महंगी एवं दुर्लभ हो जाएगी । यदि विश्वविद्यालय इसे शीघ्र क्रय/प्रापण नहीं करता है, तो इसे वर्तमान दर से काफी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है । इन दोनों बिंदुओं की संपूर्ण सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई । समिति ने सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में स्थिति से शीघ्र अवगत करवाया जाए । समिति ने यह भी जाहिर किया की अध्यक्ष सिक्किम सरकार के साथ मामले को उठाए, ताकि विश्वविद्यालय को गंगटोक में भूमि उपलब्ध करवाने की संभावना खोजी जा सके। समिति द्वारा यह भी नोट किया गया कि यू जी सी ने अपने XI प्लान आवंटन में विश्वविद्यालय द्वारा गंगटोक में भूमि अधिग्रहण हेतु रूपये 300 लाख का सांकेतिक प्रावधान किया है ।

6.2 समिति द्वारा उपरोक्त सुझाव एवं निर्देशों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एफ सी: 02:07	महाविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करना (प्रथम बैठक से पुन: प्रस्तुत मद)

7.1 समिति में उनके समक्ष प्रस्तुत मध्य पर विस्तृत विचार विमर्श किया। समिति को सिक्किम राज्य के भौगोलिक एवं टोपोग्राफिक दबावों के बारे में बताया गया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के लिए वर्तमान में आवश्यक है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं तथा स्थानीय छात्रों के ज्ञान स्तर को देश के अन्य भागों के समकक्ष लाएं। अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि महाविद्यालयों को उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के हिताधिकारी अंतत: सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्र ही होंगे।

7.2 उन्होंने उल्लेख किया विश्व विद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर में सैटेलाइट पुस्तकालय, लीज लाइन संयोजकता, फैक्स मशीन, कंप्यूटर आदि संलग्न है। समिति ने जानना चाहा कि ऐसी सुविधाएं सिक्किम सरकार द्वारा महाविद्यालयों को क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई। सम्मानित सदस्य श्री टी पी कोइराला ने उत्तर दिया कि वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु वित्तीय सहायता सिक्किम सरकार से संभव नहीं है। समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या यूजीसी के पास ऐसी सहायता के लिए कोई विशेष निधि उपलब्ध है तथा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सिक्किम सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण का विधिवत उल्लेख करते हुए महाविद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य यूजीसी के साथ विशेष रुप से निधि आवंटन हेतु मामले को उठाया जाए।

7.3 समिति ने इसके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद का उपरोक्त सुझावों के साथ अनुमोदन किया।

एफ सी: 02:08	सांविधिक अधिकारियों के मामले में कार्यभार ग्रहण करने एवं छोड़ने पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति

8.1 समिति को बतलाया गया कि आवधिक पद धारित करने वाले सांविधिक अधिकारियों के मामले में, साथ ही जो विश्वविद्यालय में सीमित अवधि हेतु सेवारत हैं, भारत सरकार का वर्तमान या.मा. नियमावली विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एवं कार्यालय छोड़ने पर हुए स्थानांतरण में यात्रा भत्ता भुगतान की अनुमति नहीं देती है। मामले पर विधिवत विचार के बाद समिति ने सचिव को अन्य विश्वविद्यालयों स्थिति सत्यापित करने का निदेश दिया कि क्या वहां कार्यरत सांविधिक अधिकारियों को ऐसी सुविधाएं विस्तृत है अथवा नहीं।

8.2 समिति ने अनुरोध किया कि इस मद को उपरोक्त सुनिश्चित करने के पश्चात अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

एफ सी: 02:09	परीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक एवं अन्य फूटकर खर्च हेतु सीमा निर्धारण ।

9.1 इस मद को अगली बैठक हेतु आस्थगित किया गया ।

समूह - III संपुष्टि अपेक्षित मदें

एफ सी: 02:10	वर्ष 2008-09 हेतु अंतिम व्यय बनाम बजट प्राक्कलन पर विचार करना एवं संपुष्टि करना ।

10.1 समिति ने इनके समक्ष प्रस्तुत बजट एवं वास्तविक आंकड़ों का परीक्षण किया (अनुलग्नक 5) । समिति ने नोट किया कि कई मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा किया नहीं किया गया, क्योंकि ये व्यय पूंजीगत थे एवं जब तक कि विश्वविद्यालय को भूमि उपलब्ध नहीं किया जाता है, इसे खर्च नहीं किया जा सकता है । व्यय के अन्य मदों के संबंध में समिति में सचिव को निर्देश दिया कि भविष्य में के सभी पदों के विरुद्ध उपयुक्त स्पष्टीकरण का उल्लेख किया जाए । समिति ने नोट किया कि व्यय के कई शीर्षों के मामले में खर्च विनियोजन से अधिक किया गया है । समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में विश्व विद्यालय के पास बजट शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन हेतु कोई विनियमावली नहीं है । इन आपत्तियों की दृष्टि से समिति ने निर्देश दिया की किसी समूह शीर्ष के अंतर्गत एवं किसी लघु शीर्ष के अंतर्गत पुर्नविनियोजन हेतु शक्तियों के प्रन्यायोजन के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाए एवं समिति के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

10.2 उपरोक्त अभियुक्तियों के साथ समिति में इनके समक्ष प्रस्तुत मद की संपुष्टि की ।

एफ सी: 02:11	शिक्षण एवं शैक्षाणिक कर्मचारियों के प्रति दिनांक 01.04.2009 से लागू पुनरीक्षित परिलाभ पर विचार एवं संपुष्टि करना ।

11.1 समिति में विचार विमर्श के पश्चात उपरोक्त मध्य की पुष्टि की ।

एफ सी: 02:12	अति व्यय एवं अव्ययित शेष।

12.1 समिति ने इस संबंध में एम एच आर डी के अनुदेशकों का अध्ययन किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा इसे कार्य सूची मध्य में संलग्न करने की प्रशंसा किया । समिति ने यह भी नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के मामले में, नया विश्वविद्यालय होने के कारण इसके द्वारा खर्च किया गया व्यय सर्वथा पूंजीगत है। समिति ने आगे पाया विश्वविद्यालय निर्माण के आरंभिक वर्षों में प्रावधान सीमाओं पर पूर्णरुपेण व्यवहार नहीं किया जा सकता है । समिति ने सचिव को व्यय की प्रवृत्ति एवं प्रणाली को दर्शाते हुए अगली बैठक में एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण देने का निर्देश दिया, ताकि समिति को समझने एवं उपयुक्त मार्गदर्शन देने में सुविधा हो ।

12.2 उपरोक्त अभियुक्तियों के साथ समिति ने इस मद को सूचनार्थ नोट किया ।

एफ सी: 02:13	कोई अन्य मद - अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

13.1 कोई अन्य मद विचारार्थ नहीं उठाया गया ।
बैठक सदस्य एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात समाप्त घोषित हुई ।

हस्ताक्षरित
पी.वी. रवि
वित्त अधिकारी
पदेन सचिव, वित्त समिति